

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

①

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

अम्बरचन्द

बनाम राजीद

किस्म मुकदमा

नं

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/1/16	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते ... पत्रावली दिनांक 21/1/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	
	21.1.16	
	25.2.16	
	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते ... पत्रावली दिनांक 21.4.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	
	21.4.16	
	<p>पत्रावली/वाकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते ... पत्रावली दिनांक 12.5.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	
	27/6/16	
	21/10/16	
	21/10/16	
	<p>वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते ... पत्रावली दिनांक 17.11.16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	

पत्रावली का लोग अहकाम में
निस्तारण नहीं हो
दिनांक 21/10/16
अदालत (दोमराठ) अलवर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
की तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तारीख
-------------	-----------------------------------	--

15.9.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
रीडर

12.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
रीडर

03.11.23 पत्रावली पेश P.O. साहब.....
..... कार्य में है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
रीडर

12.12.24 वकील अनुपस्थित
साबिक आदेश दिनांक.....
की पालना में पत्रावली वास्ते.....
दिनांक..... को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

09.01.24 पत्रावली पेश। P.O. साहब.....
..... कार्य में है।
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो।
रीडर

06.2.24 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अनुपस्थित। वकील
व उनके हाथों को न्यायालय द्वारा वास्तुअभाव दिल्ली
गई। साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया गया। इसके
बेवजुद वकील व उनके पत्नी न्यायालय में उपस्थित
नहीं आये। अतः हाबिसा पत्र- 212 वकील व उनके हाथों
की आज्ञाकारी आज्ञा परखी में खारिज किया जा रहा।
पत्रावली फंसल नम्बर दोऊ नम्बर से कम हो वास्तुअभाव
तकमील शुल्क वाद के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज